F. No. FM-11-12/1/2021-PLIS
भारत सरकार/Govt.of India
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
Ministry of Food Processing Industries
पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg
नई दिल्ली / New Delhi 110049

महत्वपूर्ण सूचना

दिनांक 9 अप्रैल, 2021

विषय: नए केंद्रीय क्षेत्र "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना" पर भारत सरकार का अनुमोदन

भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2026-27 के दौरान 10,900 करोड़ रुपये की केन्द्रीय क्षेत्रक नई योजना – ''खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना'' को अनुमोदित किया है। इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को समर्थन दिया जाएगा ताकि प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि हो, अपव्यय को कम किया जा सके और मूल्य वर्धन में वृद्धि की जा सके। इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

1. उद्देश्य:

1.1 इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में समर्थन करना; अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना; कृषि कार्यों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उपज के अधिक मूल्य द्वारा किसानों को उच्च आय प्रदान करना है।

2. घटक: इस योजना के तीन घटक हैं।

2.1 प्रथम घटक खाद्य उत्पादों के बड़े विनिर्माताओं का चयन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का है जो निर्धारित न्यूनतम निवेश करने और निम्नलिखित चार खंडों में निर्धारित वृद्धि दर के अनुसार बिक्री में वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

(i) मिलेट्स आधारित खाद्य पदार्थों सहित रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई)

(ii) प्रसंस्कृत फल और सब्जियां,

(iii) समुद्री उत्पादों, और

(iv) मोत्ज़ारेला चीज़

2.2 द्वितीय घटक उन चार खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए है जो नवीनतम/जैविक उत्पादों का निर्माण करते हैं।

2.3 इस योजना का तृतीय घटक भारतीय ब्रांडों को वैश्विक बाजार में प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियों को विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए अनुदान प्रदान करता है।

3. पात्रता

3.1 इस योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार के लिए न्यूनतम निर्धारित निवेश करने के इच्छुक खाद्य प्रसंस्करण इकाईया समर्थन इंन्सेंटिव के लिए पात्र होंगी। आवेदकों की पात्रता के लिए न्यूनतम निवेश संलग्रक-1 में दिया गया है। प्रतिबद्ध निवेश उस उत्पाद खंड में किया जाना चाहिए जिसे वर्ष 2021-22 और 2022-23 में इकाई के लिए चुना गया है। वर्ष 2020-21 में पहले से किए गए निवेश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

3.2 नवीनतम/जैविक उत्पादों के साथ लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) को आधार वर्ष से अधिक बढ़ी हुई बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जैसा कि बड़ी संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। एसएमई और उत्पादों का चयन उत्पाद की प्रकृति, उत्पाद और बाजार विकास के चरण, व्यापार योजना और उनके परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट मापनीयता की क्षमता पर आधारित होगा। ऐसे मामलों में न्यूनतम बिक्री और प्रतिबद्ध निवेश की शर्त लागू नहीं होगी।

4. खाद्य उत्पादों का कवरेज:

यह योजना केवल उन उत्पादों की बिक्री के लिए लागू होती है जिनकी संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया भारत में होती है।

5. बिक्री पर प्रोत्साहन:

5.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान आधार वर्ष से अधिक वृद्धि आधारित बिक्री पर वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों के लिए किया जाएगा । यह योजना बजट सीमित है, जिसका अर्थ है कि चयनित संस्थाओं को केवल योजना के लिए आवंटित कुल बजट से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

5.2 वृद्धि आधारित बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष पहले 4 वर्षों के लिए 2019-20 होगा। 5वें और 6वें वर्ष के लिए आधार वर्ष क्रमशः 2021-22 और 2022-23 होगा।

5.3 आधार वर्ष से वृद्धि आधारित बिक्री पर चयनित आवेदकों को इन्सेंटिव देय होगा । प्रत्येक खाद्य खंडों के लिए प्रोत्साहन की दरें संलग्नक-II में दी गई हैं। चयनित संस्थाओं को इन्सेंटिव प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम संचयी समग्र वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

5.4 किसी विशेष वर्ष के लिए देय इन्सेंटिव अगले वर्ष में भुगतान के लिए देय होगा।

6. वित्तीय परिव्यय:

वर्ष 2021-22 से 2027-28 के दौरान इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है।

7. खंड आवंटन:

7.1 इस योजना के अंतर्गत बिक्री आधारित इन्सेंटिव के लिए सांकेतिक खंडवार वित्तीय आवंटन **संलग्नक-III** में दिया गया है।

7.2 अंतर-खंड आवंटन और विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए सांकेतिक हैं और मांग के आधार पर बदला जा सकता है बतौर इसके कि प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी सेगमेंट के लिए आवंटन को कम नहीं किया जाएगा ।

7.3 किसी भी कंपनी को उस खंड के लिए कुल बजट का 25% से ज्यादा नहीं मिलेगा और किसी भी कंपनी को खंड परिव्यय का 5% से कम नहीं मिलना चाहिए । प्रसंस्कृत फल एवं संब्जियां के खंड के लिए एमओएफपीआई प्रति कंपनी न्यूनतम 5% के मानदंडों में छूट दे सकता है।

7.4 ब्रांडिंग और विपणन:

7.5 भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन देने के लिए समर्थन बड़े स्टोर में किराए पर लेने वाले स्टोर ब्रांडिंग और शेल्फ स्पेस सहित ब्रांडिंग और विपणन के लिए आवेदक संस्थाओं को अनुदान दिया जायेगा। संस्थाएं ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी।

7.6 भारत सरकार प्रत्येक कंपनी द्वारा किए गए व्यय पर 50% अनुदान प्रदान करेगी, जो कि 3% टर्नओवर की सीमा तक अथवा प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, उतना होगा।

7.7 जिन कंपनियों को बिक्री मे वृद्धि आधारित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, उन्हे भी विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन पर कुल व्यय का 50% पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान प्रति वर्ष टर्नओवर का

3% अथवा 50 करोड़ रुपये की सीमा, जो भी कम हो, के अध्यधीन होगा। ऐसी संस्थाएं पांच वर्षों की अवधि में कम से कम 5 करोड़ रुपये व्यय करने के लिए सहमत हो।

7.8 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन बैक-एंडेड होगा और इस अवधि में धीरे-धीरे होता जायेगा।

7.9 **आवेदन**

7.10 अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन विंडो को ईओआई में निर्दिष्ट किया जाएगा।

7.11 योजना की विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। योजना के दिशानिर्देशों में प्रत्येक उत्पाद श्रेणी में बिक्री में वृद्धि आधारित इन्सेंटिव के लिए पात्र उत्पादों की सूची, चयनित संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम संचयी समग्र वृद्धि दर (सीएजीआर) को इन्सेंटिव प्राप्त करने के लिए पात्र होना, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि शामिल होंगे।

मनोज जोशी

मनोज जोशी
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-26492476
ईमेल: as-mofpi@gov.in

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिव
2. सीईओ, नीति आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
3. सचिव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली.
5. सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
7. आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
8. सचिव उपभोक्ता मामला विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
11. सचिव वित्तीय सेवा विभाग , जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

12. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली
13. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
15. सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
16. सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
17. संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
18. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफटेम), प्लॉट नंबर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा 131028
2. निदेशक, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), पुडुककोट्टई रोड, तंजावुर, तमिलनाडु 613005

प्रतिलिपि:

3. माननीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के निजी सचिव
4. माननीय राज्यमंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के निजी सचिव
5. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के निजी सचिव
6. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
7. अतिरिक्त सचिव के प्रधान निजी सचिव
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सभी अधिकारी

संलग्नक-I

पीएलआईएस के अंगत आवेदकों की पात्रता (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग)

खंड	न्यूनतम बिक्री (करोड़ रु)	न्यूनतम निवेश (करोड़ रु)
आरटीई / आरटीसी	500	100
संसाधित फल और सब्जियां	250	50
समुद्री	600	75
मोत्ज़रेला पनीर	150	10 एम टीपीडी प्लांट - 23 करोड़ रुपये
एफआर अंडे, अंडा उत्पादों सहित एसएमई के नवीनतम/ जैविक उत्पाद,पोल्ट्री मांस	आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर	

संलग्नक-II

वर्ष में बिक्री पर प्रोत्साहन की दरें

वर्ष	आरटीसी / आरटीई	प्रसंस्कृत एफ एंड वी	समुद्री उत्पाद *	मोजरेला पनीर
2021-22	10%	10%	6%	10%
2022-23	10%	10%	6%	10%
2023-24	10%	10%	6%	10%
2024-25	10%	10%	6%	8%
2025-26	9%	9%	5%	6%
2026-27	8%	8%	4%	4%

* सभी 6 वर्षों के लिए मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों के लिए 10% प्रोत्साहन दर।
** पहले 4 वर्षों के लिए वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष 2019-20 होगा। 5वें और 6वें वर्ष के लिए आधार वर्ष क्रमशः 2021-22 और 2022-23 में बदल जाएगा।

संलग्नक-III

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खंड वार सांकेतिक अपव्यय (करोड़ रुपय)								
	आर टीसी/ आर टीई फूड्स	प्रोसेस्ड एफ एंड वी	समुद्री उत्पाद	मोत्ज़रेला चीज़	बिक्री पर प्रोत्साहन	विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग	एडीए मएन लागत	कुल
कुल	4181	3582	993	283	9040	1500	110	10,900*
*इसमें 250 करोड़ रुपये (लगभग 2% परिव्यय) शामिल हैं, जो फ्री रेंज अंडे, पोल्ट्री मीट, अंडा उत्पाद सहित एसएमई क्षेत्र में नवीनतम/जैविक उत्पादों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो किसी भी खंड से हो सकते हैं।								